

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 26/2023

तारीख दायर 31/3/23

मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा खेती निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

मांगीलाल पुत्र होकमा जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 31/3/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद मे खाता संख्या 21 पर अंकित आराजी संख्या 17 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उक्त मौजा ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद मे खाता संख्या 21 पर अंकित आराजी संख्या 17 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 31/3/23

प्रकरण संख्या 26/2023

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 26/2023 पत्थरगढ़ी बाबत ।

मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा खेती निवासी गोपालनिवास तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम


1. मांगीलाल पुत्र होकमा जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम
जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद मे खाता संख्या 21 पर
अंकित आराजी संख्या 17 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के
पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे
तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने
हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिशनर
नियुक्त किया जाता हैं एवं कमिशनर फीस 500/- रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा
करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पडौसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा